(138)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नि-484-I-16

प्रकरण क्र. /2016 निगरानी

आवेदक .... भोगीराम पुत्र श्री मातादीन ब्राहाम्ण, आयु 80 वर्ष, निवासी - गोरमी तहसील गोरमी, जिला भिण्ड म.प्र.

श्री .... द्वारा आज दि. 4-2-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-2-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

अनावेदक .... म. प्र. शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.01.2016 न्यायालय ए.के. श्रीवास्तव अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना म.प्र. एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव प्रकरण क्र. 42/2012-13 आदेश दिनांक 10.04.2013 एवं विरूद्ध आदेश दिनांक 15.01.13 न्यायालय नायब तहसीलदार गोरमी जिला भिण्ड के प्रकरण क्र. 02/10-11

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है -

1. यह कि, उक्त अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.04.13 के विरूद्ध आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के न्यायालय में भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई एवं उक्त अपील सुनवाई मे ली जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत खसरा अन्य दस्तावेज की अनदेखी कर अपील सुनवाई में ली जाकर दिनांक 07.01.16 को निरस्त की गई।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 484—एक /16 जिला —भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेषा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15—05—17	आवेदक के अधिवक्ता को एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । अतः आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	